36

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी–3– 06/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 18.5.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य पदेश ।

विषयः– शासन के विभिन्न विभागों में स्टेनो टायपिस्ट एवं भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण ।

शासन के ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों के सेवा भर्ती नियमों में स्टेनो टायपिस्ट एवं भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता भिन्न भिन्न निर्धारित है जिससे इन पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा चयन परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है । उपरोक्त पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक अर्हता में एक रूपता लाये जाने के उद्वेश्य से समग्र विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा स्टेनो टायपिस्ट एवं भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की जाती है :–

स्टेनो टायपिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता

अ. आई0टी0आई0 से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा,

ब. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा,

स. अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाद्यालय से माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण –पत्र

2/ उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक 3–14/3/2010 दिनांक 10.9.2010 में उल्लेखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।

3/ भृत्य के पद पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता आठवी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

4/ व्यापम द्वारा परीक्षा उपरांत तैयार मैरिट सूची के अभ्यर्थियों की मेरिट के कम से व्यापम द्वारा कम्प्यूटर / टायपिंग की निर्धारित गति की परीक्षा ली जायगी और उसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की ही चयन हेतु अनुशंसा की जाएगी ।

5/ स्टेनो टायपिस्ट एवं भृत्य के लिये निर्धारित योग्यता हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की सीमा तक समस्त विभागों के स्टेनों टायपिस्ट एवं भृत्य के भर्ती नियम यथा संशोधित मान्य होगें ।

अतः सभी विभाग अपने सेवा भर्ती नियमों में उक्तानुसार प्रावधान करें ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/5/2011

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18-5-2011

कमांक सी–3– 06/2011/3/एक

प्रतिलिपिः–,

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल

11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव / अवर सचिव,स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।

19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल

20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

(कमला अजीतवार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग